कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, टोंक (राज.)

मिसल संख्या :– 208 / 2022 निर्णय दिनांक :– 28.06.2022

उनवानी प्रार्थना पत्र :–

कजोडी देवी पत्नि तनसुख जाति बैरवा उम्र बालिग निवासी देवली तहसील देवली जिला–टोंक (राज.)

–प्रार्थीगण पक्ष–

बनाम

तहसीलदार महोदय देवली जिला–टोंक (राज.)

–अप्रार्थी पक्ष–

उपस्थित :–

श्री अजीत सिंह
अधिवक्ता प्रार्थीगण

तहसीलदार
देवली

प्रार्थना–पत्र पत्थरगढी बाबत् अन्तर्गत धारा 128 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट

आदेश

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया, अधिवक्ता प्रार्थी को सुना गया। तहसीलदार देवली की रिपोर्ट अनुसार आराजी **खाता संख्या 10 ख0नं0 303 रकबा 0.71 है0, ख0नं0 304 रकबा 0.28 है0, ख0नं0 305 रकबा 1.07 है0, खाता संख्या 11 ख0न0 530 / 303 रकबा 0.51 है0** वाके ग्राम कुशालपुरा पटवार हल्का राजमहल तहसील देवली जिला–टोंक, प्रार्थी पक्ष की खातेदारी व कब्जेकाश्त की आराजी भूमि है। उक्त भूमि का पडोसी खातेदार से कोई सीमा विवाद नहीं है और ना ही उक्त भूमि पर किसी न्यायालय का स्थगन है।

अतः जमाबंदी सम्वत् **2072–2075** में दर्ज आराजी **खाता संख्या 10 ख0नं0 303 रकबा 0.71 है0, ख0नं0 304 रकबा 0.28 है0, ख0नं0 305 रकबा 1.07 है0, खाता संख्या 11 ख0न0 530 / 303 रकबा 0.51 है0** वाके ग्राम कुशालपुरा पटवार हल्का राजमहल तहसील देवली जिला–टोंक की विधिवत् पत्थरगढी कॉस्ट राशि नियमानुसार जमाकर उक्तानुसार पालना की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल की जाती है।

उपखण्ड अधिकारी
देवली